

श्री. राजेश कुमार शर्मा
पत्नी श्री. सुनीता शर्मा
पता: पंचसरोवर, पुराना
पुल, दिल्ली-110055

पुनर्जातीकरण अधिकारी
निवाड़ (दस्तावेज)

8/पंजाब शासकियत अधीनस्थ राज्य प्रशासन पत्र
151. 152 सीपीसी प्रान्तुत करी पर फासली
निवाड़ से तपथ डेकर पेश हुये 24/11/24
अधीनस्थ ने निवेदन किया है पत्नी
श्री. सुनीता शर्मा का 27/11/24
को अतीत स्वीकार कर निर्दिष्ट पापिन
करने हुये नामान्तरण नि. 4552 दिनांक
26/7/2007 को जारी कर नक्षीनासत
निवाड़ को रजिस्टर्ड शिक्षक फासली
उक्त नामान्तरण पर कर राजस्व
निवाड़ में करण परामद करने को
करना. पारित किया गया है परन्तु
नामान्तरण नि. 4552 दिनांक 26/7/07
कापु कसका निवाड़ में वर्णित भूक
का नं 2483/1 रकबा 1 बीघा, 10/100
का हा. गलती से 2483/1 का रकबा
दा हुये का. नं 2483/1 रकबा
0.2656 हेक्टर क अकन- 2483/3
रकबा 0.1138 हेक्टर से जाने हु
कारण सगनीय शासनालय से उक्त
निवेदन दिनांक 27/11/24 से पालन
नहीं हो लकी है
अतः निवेदन है, गरी फासली

पाठिका निर्णय दिनांक 27/11/24 ई.
 कोर्टिड संशोधन करने हुए खान
 नं० 2483/1 रकबा 0.2656 हेक्टर व
 खान नं० 2483/3 रकबा 0.1138 हेक्टर
 का नामाकरण रजिस्ट्रि विधुय फाउण्ड
 उग: पत्नी करने हुए राजम्य दिनांक
 नं० कानून परामर्श करने के कार्यय
 पाठिका करने की हुपा 53/ ~~के~~
 रेपोर्ट की करते काफियला 340/
 कामियला रेपोर्ट नं० प्रापका 157,152
 लीपीली का जवाब नहीं कर उताउत्तर
 पेय प्रापका अन्तर्गत धान 151,152 पर
 स्वीकार सिद्धे जान पर लहकानि
 जाहिर की।

पतावली का अपलोकन दिया
 गया। कपीलान्त की करते लहकानि
 प्रापका अन्तर्गत धान 151,152
 पर का अपलोकन एवं विडान काफियलाप
 की कहल/इयन पर मनन सिद्धे गया
 प्रापका अन्तर्गत धान 151,152 पर
 कामियला कपीलान्त सं रेपोर्ट की
 लहकानि ल स्वीकार दिया जाता
 है तथा पतावली के पाठिका निर्णय
 दिनांक 27/11/24 ई. कोर्टिड संशोधन
 सिद्धे जाकर लहकानि निवाडे का
 काइरिया सिद्धे जाता है सि जा नं०
 4552 दिनांक 26/7/2007 रकबा निधि
 ल संशोधन खान नं० 2483/1 रकबा
 1 बीघा 20 पित्त (खाल ख. नं० 2483/1
 रकबा 0.2656 हेक्टर व खान नं० 2483/3

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म के
में जा

रकबा ०.११३० हेक्टर) का नामावली
राजिस्ट्री क्रियम पत्रावली पुनः दर्ज
कर, राजस्व डिपार्टमेंट के कामकाज
द्वारा जमा शेष निर्धारण यथावत
रखा जाता है पत्रावली प्रकृति
पत्रावली पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाड़ जिला-दोंक